राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–172/2024

देवराज वैष्णव –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. जिला कलेक्टर, नागौर।
6. जिला कलेक्टर, शाहपुरा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकोर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 24.05.2021 (अनुलग्नक–1) के द्वारा जिला कलक्टर कार्यालय, भीलवाड़ा में हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.06.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 26.05.2023 से नियमित वेतन श्रृंखला प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.08.2023 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन नवसृजित जिला कलक्टर कार्यालय, शाहपुरा में अस्थाई रूप से किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.09.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का गृह जिला मेड़ता नागौर होने के कारण अपना पदस्थापन वहां किये जाने हेतु अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2022–23 की रिक्ति के विरूद्ध वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई थी, का स्वैच्छा त्याग (Forgo) किया

गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.12.2023 (अनुलग्नक—5) के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 4 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर मेडता सिटी, जिला नागौर का मूल निवासी हूँ। जिला कार्यालय भीलवाड़ा मेरे घर से 300 कि.मी. दूर है। मेरे पिताजी हार्ट के मरीज है तथा माताजी की तबियत भी सही नहीं रहती है। घर पर परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं है। अतः मेरी पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा स्थानान्तरण तहसील/उपखण्ड कार्यालय मेड़ता सिटी, जिला नागौर में किया जावे। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर न्याय के सिद्वान्त के अनुसार अपीलार्थी का पदस्थापन जिला कार्यालय शाहपुरा से मेड़ता सिटी, जिला नागौर में रिक्त पद पर किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.08.2023 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला कलक्टर कार्यालय से नवसृजित जिला कलक्टर कार्यालय, शाहपुरा में अस्थाई रूप से किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश में किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रकट नहीं होती है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। नियोक्ता का यह विशेषाधिकार है कि वह अपने कार्मिक की श्रेष्ठ सेवायें किस स्थान पर उसे पदस्थापित कर वहां की जनता को प्रदान करना चाहता है। किसी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं होता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532)** के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with a transfer order which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

5. अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के

परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :—

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

6. अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 300 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य (डब्ल्यू.एल. सी. 2007(2) 276)** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

8. आदेश आज दिनांक .... को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य